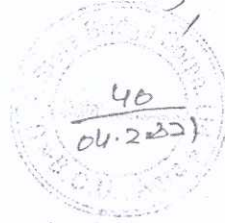


कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 3760 / 22-1 दिनांक, आगरा : 03 फरवरी, 2021

सेवा में,

उप परियोजना प्रबन्धक,
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
गुरु का ताल हरीपर्वत मार्ग, आगरा।



विषय :- जनपद आगरा में एन०एच०-2 से एन०एच०-3 को जोड़ने हेतु रूकता से रोहता मार्ग (दक्षिण बाईपास) पर आगरा फोर्ट-अछनेरा रेल सेक्शन में रेलवे कि०मी० 11/5-6 के रेल सम्पार संख्या-11सी/2टी पर 04 लेन उपरिगामीसेतु के संरेखण में आ रहे वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ :- आपकी पत्र संख्या-1945/73बी०आर०/एस०बी०सी०/आगरा/2020-21 दिनांक 12.12.2020, क्षेत्रीय वन अधिकारी, बॉईपुर की जॉच रिपोर्ट पत्रांक-185/22-1 दि०-10.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की जॉच/संयुक्त स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी, बॉईपुर एवं आपके द्वारा नामित प्रतिनिधि के साथ किया गया। जिसमें आगरा टर्मिनल नहर कि०मी० 7 (मील 9 एल०बी०) पर स्थित 26 विभिन्न प्रजाति के वृक्षों की सूची इस कार्यालय में प्रेषित की गयी है। (छायाप्रति संलग्न है) जिनका स्वामित्व वन विभाग का है। इसके अतिरिक्त मौके की जॉच में उक्त स्थल पर 160 मी० लम्बाई में एवं 2 मी० चौड़ाई में 2 स्थानों पर वन भूमि पर कार्य होना अवगत कराया गया है। कुल क्षेत्रफल 640 वर्ग मी० है। यहाँ पर यह भी सूचित करना है, कि उक्त क्षेत्र ताज ट्रेपेजियम जोन (टी०टी०जैड०) क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। टी०टी०जैड० क्षेत्र के अन्तर्गत वृक्षों की पातन की पूर्व अनुमति मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली से लिया जाना आवश्यक है।

अतः आप टी०टी०जैड० क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त कार्य में बाधक समस्त वृक्षों (वन भूमि, गैर वानिकी राजकीय भूमि/निजी भूमि कहीं भी स्थित हो) के पातन हेतु रिट पिटीशन (सि०) संख्या-13381/1984 एम०सी० नेहता बन्नान यूनिवर्सिटी ऑफ इण्डिया में आई०ए० दायर कर मा० उच्चतम न्यायालय से अनुमति प्राप्त करें तथा संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन कर वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(दिव्या)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक- / समदिनांकित।

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी, बॉईपुर को पत्रांक-185/22-1 दि०-10.01.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-मानचित्रकार शाखा प्रभारी कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा को संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(दिव्या)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

S. R. D. S. Gursoy
ROB 11

मे मा 12/05/2021

3/1/2021

(Anoop M.L. Sharma)
Junior Engineer
B.C.U., Agra

Vikram Singh
Dy. Project Manager
Bridges Construction Unit

Maps

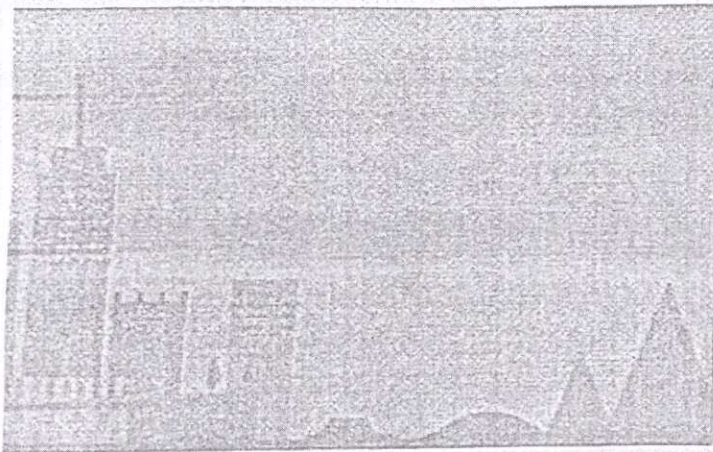
27°10'37.3"N 77°54'22.2"E

ANNEXURE A 1

8

Google

Map data ©2021 100 m



27°10'37.3"N 77°54'22.2"E

77027, 77.906156



ctions



Save



Nearby



Send to your
phone



Share

Chauhatna, Uttar Pradesh 283105

5WG4+RF Chauhatna, Uttar Pradesh


(Anoop M.L. Sharma)
Junior Engineer
B.C.U., Agra


Vikram Singh
Dy. Project Manager
Bridge Construction Unit, Agra

ROB-11C
रुप

कार्यालय



पत्रांक

185/22/

दिनांक

10-1-20

प्रति

प्रभु श्री देव

सांस्कृतिक प्रभाग

आम(1)

विषय:- जनपद आम(1) में NH-26 NH-3 का जोड़ना
मार्ग देव जनपद - रोहता (दक्षिणी बंगाल) पर

ह-11 सी/2वीं पर 4 लेन का पारगामी पुल
ह-11-आम(1) पत्रांक 3123/14-1 दिनांक 31-12-
महाराष्ट्र.

उपरोक्त पत्र के क्रम में जनपद आम(1) में
आम(1) रविनाथपुरा में 4 काली घाटी पर पुल का
पुल का निर्माण किया जा रहा है पुल की लंबाई
26 मीटर है/पुल का पुल के बाध के ही निर्माण
सुविधा के लिए निर्माण किया गया है इसके लिए
मार्ग के किनारे के क्षेत्र पुल पर 160 मी लंबाई
एव 2 मीटर चौड़ाई के 2 भाग का वग आदि का निर्माण
प्रस्तावित है/जनपद. कराया है पुल के 640 वर्ग मी
मार्ग की लंबाई है/पुल के बाध के क्षेत्र में

ह-11 सी/2वीं पर

महाराष्ट्र - वल्लभपुरी एवं आनंदपुरी

Copy to AD ROB-11C

04/11

(Anoop M.L. Sharma)
Junior Engineer
B.C.U., Agra

Vikram Singh
Dy. Project Manager
B.C.U. Construction Unit, Agra

निदेशिका
रुप
(निदेशिका)
निदेशिका
निदेशिका